राजस्थान सरकार

कार्यालय अति.मुख्य सचिव, नगरीय विकास,आवासन एवं स्वायत शासन विभाग

क्रमांकःनिस/अमुस/नवि/2018/358 जयपुर, दिनांक 11.10.2018

आदेश

दिनांक 06.10.2018 को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान विधान सभा के चुनाव 2018 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अतः सभी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों तथा समय समय पर भारतीय निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की स्वंय कडाई से पालना सुनिश्चित करने के साथ ही अपने अधिनस्थों से भी कडाई से पालना सुनिश्चित करावें। आदर्श आचार संहिता के उलंघन के प्रकरणों में सम्बन्धित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

राजस्थान निर्वाचन विभाग के आदेश संख्या 6965 दिनांक 08.10.2018 द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने की अवधि में विभिन्न विभागों द्वारा आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण / शिथिलन सम्बन्धी प्रकरणों की स्क्रीनिंग के लिए मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कि गया है। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी विभिन्न विभागों से आदर्श आचार संहिता के सम्बन्ध में प्राप्त प्रकरणों की स्क्रीनिंग कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिथलन/अनुमति हेतु प्रेषित करेगी। उक्त परिपेक्ष्य में यह निर्देश दिये जाते हैं कि आदर्श आचार संहिता में शिथिलन या स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव/पत्र किसी भी अधिकारी/ स्थानीय निकाय द्वारा सीधे मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित नहीं किये जावें बल्कि अधोहस्ताक्षरकर्ता को ही प्रकरण के सम्पूर्ण विवरण तथा शिथिलन के औचित्य के साथ प्रस्तुत किये जावे।

(पवन कुमार गोयल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

निम्नांकित को पालनार्थ प्रेषित है :-

1. आयुक्त, विकास प्राधिकरण, जयपुर/ अजमेर / जोधपुर ।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
3. सचिव, नगर सुधार न्यास समस्त।
4. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर/अजमेर/उदयपुर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर /बीकानेर
5. समस्त क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।

निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।

अतिरिक्त मुख्य सचिव